न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 06 / 2013
प्रविष्टि दिनांक 10–05–2013

राधाकिशन पुत्र मांगीलाल मीणा जाति मीणा निवासी नापा का खेडा तह0 केकड जिला अजमेर।

–..... प्रार्थी

बनाम

1–दशरथ सिंह पुत्र मानसिंह राजपूत निवासी पंचम कालोनी थडोली तह0 टोडारायसिंह जिला टोंक।

2–भू–आवण्टन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह जिला टोंक

–प्रतिपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवण्टन नियम 1970
विरूद्व आवण्टन आदेश प्रतिपक्षी नं01 दि0 24.11.2010

उपस्थिति : (1) श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक, प्रार्थी
(2) श्री कृष्णगोपाल शर्मा, अभिभाषक प्रतिपक्षी सं0 1

निर्णय दिनांक 20.10.2016

1– प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 24–11–2010 को प्रतिपक्षी नं0 1 के पक्ष में आराजी खसरा नम्बर 214 रकबा 0.42 हेक्टर वाके ग्राम थडोली तहसील टोडारायसिंह का आवण्टन करने का आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी ने उक्त भूमि के आवण्टन को विधि विधान एंव तथ्यों के प्रतिकूल बताते हुए निरस्त किये जाने हैतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

2– प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी विपक्षीगण जरिए नोटिस की गई। आवण्टन पत्रावली मॅगवाई गई। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल आवेदन पत्र, तस्दीक पटवारी, आवण्टन कमेटी की सिफारिश, आवण्टन आदेश, सुपुर्दगीनामा, नक्शा ट्रेस, मिलान क्षेत्र, नकल जमाबंदी दशरथसिंह, जमाबंदी राधाकिशन की संलग्न की है। अभिभाषक उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

3– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा आवण्टन आदेश पारित करने से पूर्व नियमों की पालना नहीं की गई, पटवारी से मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट तलब नहीं की है, सार्वजनिक प्रोक्लोमेशन जारी नहीं किया न ही आवण्टन योग्य भूमि की सूची तैयार की गई, क्योंकि विवादित भूमि ख0नं0 214 रकबा 0.42 हे0 जो प्रतिपक्षी सं0 1 को आवण्टन की गई है, पर प्रार्थी का बरसो से लेकर आज तक लगातार कब्जा काश्त रहा है, उक्त भूमि प्रार्थी के अलावा किसी अन्य को आवण्टन योग्य नहीं थी। उक्त भूमि प्रार्थी की अन्य खातेदारी की भूमि से मिली हुई है। ख0नं0 191,

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

192, 193, 213, 318 प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि है। ख0नं0 214 इन्हीं भूमियों के अडवा है जो प्रार्थी के खेत में सम्मिलित है। इस कारण इस कारण प्रार्थी को न तो बेदखल किया जा सकता है न हीं बेदखल किया गया है। स्मॉल स्ट्रिप ऑ लेण्ड के रूल्स के तहत प्रकिया अपनाकर इसका आवण्टन किया जाना चाहिए व समीपस्थ कृषको के प्रार्थना पत्र आमंत्रित करके ही आवण्टन होना चाहिए। प्रतिपक्षी सं0 1 ने आज तक उक्त भूमि पर काश्त नहीं की है, प्रतिपक्षी सं0 1 ने आवण्टन आदेश व सुपुर्दगीनामा नुमाईशी तौर पर प्राप्त किया है, चुपचाप कागजी आवण्टन प्राप्त करने से प्रतिपक्षी नं01 का आवण्टन निरस्त किया जावे।

4— विद्वान अभिभाषक प्रतिपक्षी सं01 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिपक्षी सं0 1 द्वारा विधिवत रूप से प्रार्थना पत्र भरने व पटवारी हल्का की रिपोर्ट उपरान्त ही आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा समिति की राय से प्रतिपक्षी सं0 1 को निमयानुसार भूमि का आवण्टन किया गया है, प्रतिपक्षी सं0 1 को विधिवत रूप से भूमि का कब्जा दिया गया है, सुपुर्दगीनामा आवण्टन पत्रावली में संलग्न है, आवण्टन के लगभग 27 वर्ष पश्चात आवण्टन निरस्त कराने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। आवेदन लिमिटेशन के बाहर होने से आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी चलने योग्य नही होने से निरस्त किया जाकर प्रतिपक्षी नं0 1 को किया गया आवण्टन बहाल रखा जावे।

5— अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 24—11—2010 को प्रतिपक्षी नं0 1 के पक्ष में आराजी खसरा नम्बर 214 रकबा 0.42 हे0 भूमि वाके ग्राम थडोली का आवण्टन करने का आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी ने इस आवण्टन को इस आधार पर निरस्त कराना चाहा है कि विवादित भूमि पर कदीमी से प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है, सार्वजनिक प्रोकलोमेशन जारी नहीं किया गया, मौके की वास्तविक स्थिति की जांच नहीं की गई, भूमि आवण्टन योग्य नहीं थी, आवण्टन के समय भी उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त था, वर्तमान में भी है, उसके बावजूद भूमि प्रतिपक्षी सं0 1 को आवण्टित करदी गई एवं प्रतिपक्षी द्वारा आवण्टन शर्तों की पालना भी नहीं की गई है, ये तथ्य प्रार्थी द्वारा सिद्व नहीं कर पाये है। आवण्टन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिपक्षी सं01 के द्वारा विधिवत रूप से आवण्टन प्रार्थना भरकर पेश किये जाने पर ही पटवारी हल्का के द्वारा भी प्रतिपक्षी सं01 की भूमि के बारे में रिपोर्ट की गई हे जो बरवक्त आवण्टन भू आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष मोजूद थी। आवण्टन की सिफारिश पटवारी हल्का, गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा की गई है। राजस्व रिकार्ड में भूमि सिवायचक थी ओर अप्रार्थी को भी इसी भूमि में से आवण्टन दिनांक 24—11—2010 को ही किया गया था। बरवक्त भूमि रिक्त थी, अतः भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा किया गया आवण्टन विधि अनुसार किया गया है। प्रार्थी बरवक्त आवण्टन मौके पर मोजूद था ओर यदि उसे प्रश्नगत आवण्टन के बाबत कोई आपत्ति थी तो वह आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने हैतु स्वतंत्र था लेकिन प्रार्थी ने मौके पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। राजस्व रिकार्ड एंव पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिपक्षी भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा में आता हैं। भूमि आवण्टन से पूर्व जहॉ रिक्त भूमि की सूची एंव उद्घोषणा जारी नही करने का प्रश्न है तो यहॉ उल्लेख किया जाना उचित होगा कि प्रश्नगत आवण्टन

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

प्रशासन गॉव के संग अभियान 2010 में मजमेआम में किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत 2064–67 में आवण्टित भूमि का खसरा नंबर न होकर अन्य खसरा नम्बरान प्रार्थी के नाम दर्ज होना अंकित है तथा प्रार्थी के ही द्वारा प्रस्तुत अन्य जमाबन्दी सम्वत 2068 में प्रतिपक्षी सं01 दशरथसिंह को आवण्टित खसरा नंबर व रकबे का अंकन किया है जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी प्रतिपक्षी सं01 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी ने आवण्टन को छल–कपट एवं चुपचाप करवाना बताया है किन्तु वे इसे सिद्व नही कर सके। आवण्टन के विरूद्व लगभग 27 वर्ष बाद प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो सारहीन है। अतः भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा किये गये उक्त आवण्टन में कोई त्रूटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्षी सं01 का आवण्टन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

आदेश

6. फलतः उपरोक्त विवेचनो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक (राज0)

Scanned by CamScanner